



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032023-244102
CG-DL-E-03032023-244102

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 993]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 2, 2023/फाल्गुन 11, 1944

No. 993]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 2, 2023/PHALGUNA 11, 1944

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2023

का.आ. 1034(अ).—केंद्र सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा कुलपति, केंद्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू को प्रो. मनोज धर, कुलपति, जम्मू विश्वविद्यालय, के स्थान पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, विजयपुर, सांबा के संस्थान निकाय के सदस्य के रूप में नामित करती है, और उस प्रयोजन से दिनांक 20 मार्च 2020 के का.आ. 1185 (अ.) के द्वारा भारत के राजपत्र भाग II, खंड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 11 मार्च, 2020 की अधिसूचना सं. जेड-28016/178/2019-पीएमएसएसवाई-IV में निम्नलिखित संशोधन करती है :-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टि में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:

"धारा 4 के खंड (कक) के अंतर्गत सदस्य:

"1. कुलपति, केंद्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू"

सदस्य का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

[एफ सं. जे-28016/178/2019-पीएमएसएसवाई .IV- भाग(3)]

अंकिता मिश्रा बुंदेला संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st January, 2023

S.O. 1034(E).—In exercise of powers conferred by Section 4 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates **Vice Chancellor, Central University of Jammu**, to be member of Institute Body of All India Institute of Medical Sciences, **Vijaypur, Samba** in place of Prof. Manoj Dhar, Vice Chancellor, University of Jammu, and for that purpose makes the following amendment in the notification of Government of India, Ministry of Health & Family Welfare, Number Z-28016/178/2019-PMSSY-IV dated the 11th March, 2020 published in the Gazette of India Part II, section 3, Sub-Section (ii) vide SO 1185 (E) dated the 20th March, 2020:

In the said notification, for serial number 1 and the entry relating thereto, the following should be substituted, namely :-

“Member under clause (aa) of Section 4:

“1. **Vice Chancellor, Central University of Jammu**”

The terms of office of member shall be governed by the provisions contained in Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

[F. No. Z-28016/178/2019-PMSSY.IV-Part(3)]

ANKITA MISHRA BUNDELA Jt. Secy.